राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प 4 (15) शिक्षा–1 / मॉडल स्कूल / 2008 पार्ट जयपुर दिनांक 3.6/15

आयुक्त,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर, राजस्थान।

विषय :– स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में सत्र 2015–16 से प्रवेश हेतु जारी नीति में आंशिक संशोधन किये जाने बाबत।

संदर्भ :– राज्य सरकार का पूर्व पत्रांक क्रमांक : प 4 (15) शिक्षा–1 / मॉडल स्कूल / 2008 पार्ट जयपुर दिनांक 23.02.2015 के क्रम में।

स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के संचालन हेतु संदर्भित पत्र के द्वारा निर्धारित प्रवेश नीति में सत्र 2015–16 से निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:–

1. कक्षा 9 हेतु जारी प्रवेश नीति के बिन्दु संख्या 2 एवं 3 में आवश्यक शिथिलन प्रदान करते हुए निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–
   - 1.1. स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों की कक्षा 8 उतीर्ण एव 8वीं कक्षा की परीक्षा में समग्र रूप से 40 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में कक्षा 9 में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
   - 1.2. 40 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों को आर.टी.ई. एक्ट (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत उच्च प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र दिया जावेगा। इसके आधार पर वे अन्य विद्यालयों में प्रवेश ले सकेंगे।
   - 1.3. 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से रिक्त रही सीटों पर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से तैयार प्रतीक्षा सूची में से प्रवेश हेतु जिला स्तरीय समिति अधिकृत होगी। परन्तु 9वीं कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या निर्धारित मापदंडानुसार ही होगी।
2. स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रवेश नीति में विभिन्न श्रेणियों में प्रवेश सीटें आरक्षित करने हेतु प्रवेश नीति में बिन्दु संख्या C (विभिन्न श्रेणियों में प्रवेश हेतु सीटें आरक्षित करने का प्रावधान) निम्नानुसार जोडा जाता है :–
   - 2.1. प्रत्येक मॉडल विद्यालय में निर्धारित सीटों के अतिरिक्त तीन सीटों पर राज्य सरकार के स्तर से प्रवेश की अनुशंषा की जा सकेगी।
   - 2.2 मॉडल विद्यालय से संबंधित जिले के वर्तमान माननीय सांसद (लोकसभा) उस जिले के प्रत्येक मॉडल विद्यालय में एक सीट पर प्रवेश दिलाने हेतु अनुशंषा उसी संसदीय क्षेत्र के निवासी छात्र / छात्रा के लिए कर सकेंगे।

2.3. सासद (राज्य सभा) अपने गृह जिले के संचालित मॉडल स्कूलों में प्रत्येक विद्यालय के लिए एक विद्यार्थी, जो उसी जिले के निवासी हो, के लिये प्रवेश की अनुशंषा कर सकेंगे।

2.4 मॉडल विद्यालय से संबंधित जिले के वर्तमान माननीय जिला प्रमुख उस जिले में प्रति मॉडल विद्यालय में प्रवेश हेतु एक सीट पर उसी जिले के निवासी छात्र–छात्रा के प्रवेश हेतु अनुशंषा कर सकेंगें।

2.5 मॉडल विद्यालय से संबधित जिले के माननीय जिला कलक्टर अपने जिले में प्रति विद्यालय में प्रवेश हेतु एक सीट पर उसी जिले के निवासी छात्र–छात्रा के प्रवेश हेतु अनुशंषा कर सकेंगे।

2.6 मॉडल विद्यालय से संबंधित क्षेत्र के वर्तमान माननीय विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के मॉडल विद्यालय में प्रवेश हेतु एक सीट प्रति विद्यालय पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र में निवास करने वाले छात्र–छात्रा की प्रवेश हेतु अनुशंषा कर सकेंगे।

2.7 मॉडल विद्यालय से संबंधित पंचायत समिति के वर्तमान प्रधान सबंधित पंचायत समिति के क्षेत्र में स्थित विद्यालय में प्रवेश हेतु एक सीट की अनुशंषा कर सकते है परन्तु यह अनुशंषा उस पंचायत समिति के क्षेत्र में निवास करने वाले छात्र–छात्रा हेतु ही होगी।

2.8 मॉडल विद्यालय स्थित क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य जिला परिषद् स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र में संचालित मॉडल विद्यालय में स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र मे निवास करने वाले छात्र–छात्रा के लिये एक सीट पर प्रवेश दिलाने हेतु अनुशंषा कर सकेंगे।

2.9 उक्त सभी प्रकरणों में की गयी अनुशंषा कक्षा 6, 9 एवं 11 में प्रवेश हेतु की जा सकेगी तथा यह अनुशंषा मॉडल विद्यालय की इन कक्षाओं हेतु निर्धारित सीटों की संख्या के अतिरिक्त सीटों के लिये होगी।

उक्त प्रवेश प्रावधान राज्य में संचालित समस्त स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल के लिए लागू होंगे। अतः तदनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जावे।

शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. अति. आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव, प्रथम

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष : 0141–5192265, 5192261 E-mail: modelschools.rcse@gmail.com

RCSE

क्रमांक : रामाशिप/जय/मॉडल स्कूल/प्रवेश प्रक्रिया/ 12572 दिनांक : 30.6.15

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) एवं,
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
जिला– समस्त जिले

विषय :– स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में सत्र 2015–16 से प्रवेश हेतु जारी नीति में आंशिक संशोधन किये जाने बाबत।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्रांक प. 4 (15)शिक्षा–1/मॉडल स्कूल/2008 पार्ट 10544 जयपुर दिनांक 24.02.2015 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के संचालन हेतु प्रसारित दिशा–निर्देशों के क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा जरिये पत्रांक प. 4 (15)/शिक्षा–1/मॉडल स्कूल/2008 पार्ट जयपुर दिनांक 30.06.2015 से प्रवेश नीति में संशोधन किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2015–16 से संशोधित प्रवेश नीति अनुसार प्रवेश सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(जस्साराम चौधरी)
अति. आयुक्त
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,
जयपुर।

प्रतिलिपि:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. अति. आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिअ, समस्त जिले।
6. संस्थाप्रधान, स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल–समस्त ब्लॉक।
7. रक्षित पत्रावली।

30/6/15
अति. आयुक्त
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,
जयपुर।